राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1735/2025

गोविन्द प्रसाद गर्ग —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. लोकेश अग्रवाल (Banda), अध्यक्ष, बीजेपी शहर मंडल, वैर, भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 28.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.02.202

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री एन.सी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति वैर, भरतपुर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति बसेड़ी, धौलपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के रिक्त पद पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के पत्र दिनांक 25.12.2024 (अनुलग्नक—2) द्वारा माननीय मंत्री महोदय को की गई शिकायत पर किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के क्रम संख्या 34 पर अंकित का स्थानान्तरण जिला परिषद, भरतपुर से पंचायत समिति वैर, भरतपुर में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया था, के द्वारा माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, जयपुर को पत्र लिखकर अपना स्थानान्तरण रद्द कर यथावत जिला परिषद्, भरतपुर में करवाने का निवेदन किया है। वर्तमान में श्री राधेश्याम गुर्जर द्वारा पंचायत समिति वैर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति वैर, भरतुपर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति वैर, भरतपुर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति बसेड़ी, धौलपुर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2016 से कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)